

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-125
उत्तर देने की तारीख-11/02/2026

राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं (नीट, सीयूईटी, यूजीसी-नेट) में अनियमितताएं

*125# डा. संदीप कुमार पाठक:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित नीट (यूजी), नीट(पीजी), सीयूईटी और यूजीसी-नेट सहित राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में विभिन्न राज्यों में पेपर लीक होने के कितने मामले दर्ज किये गए हैं;
- (ख) दर्ज किये गए मामलों में से कितने मामलों की जांच अभी चल रही है और कितने मामलों की जांच पूरी हो चुकी है;
- (ग) कुल मामलों में से कितने मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और उक्त मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या, सुनाई गई अधिकतम और न्यूनतम सजा का, वर्ष-वार, मामला-वार, राज्य-वार और जांच एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य डॉ. संदीप कुमार पाठक द्वारा "राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं (नीट, सीयूईटी, यूजीसी-नेट) में अनियमितताएं" के संबंध में दिनांक 11.02.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के साथ-साथ भर्ती के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न निकायों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मामले संबंधित राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों (जहां भी किए जाते हैं) द्वारा दर्ज किए जाते हैं और भारतीय न्याय संहिता, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रासंगिक राज्य अधिनियमों, जो भी लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

नीट (यूजी), सीयूईटी और यूजीसी-नेट परीक्षाएं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाती हैं, जो उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक विशेष निकाय है। नीट (पीजी) परीक्षा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है।

नीट (यूजी) 2024 परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा दिनांक 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी। नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के आयोजन के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामलों की सूचना दी गई थी। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के संबंध में साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित कथित अनियमितताओं के पूरे दायरे की व्यापक जांच करने के लिए कहा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 335/2024 और उससे संबंधित मामलों में दिनांक 2 अगस्त, 2024 के निर्णय के माध्यम से पैरा 84 में कहा कि "इसलिए, वर्तमान में पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है जो अन्य रूपों के प्रणालीगत प्रकटन या प्रणालीगत कदाचार को इंगित करती है। वर्तमान में रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री इस आरोप की पुष्टि नहीं करती है कि व्यापक कदाचार हुआ है जिससे परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता हुआ"। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23 जुलाई, 2024 के पहले के आदेश के अनुपालन में,

नीट (यूजी) 2024 परीक्षा का संशोधित परिणाम दिनांक 26 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया था।

एनटीए द्वारा दिनांक 18.6.24 को आयोजित यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा को कुछ इनपुट प्राप्त होने के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता हुआ होगा। यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था और परीक्षा दिनांक 21 अगस्त और 5 सितंबर, 2024 के बीच नए सिरे से आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम भी दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया था।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष आयोजन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। समिति ने दिनांक 21.10.2024 को 'रिफॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्टिंग' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और एनटीए को मजबूत करने, राज्यों के साथ संस्थागत संबंध, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों को शामिल करने आदि की सिफारिश की है। एनटीए द्वारा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के आयोजन में सुधारों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए, आई.एस.आर.ओ. के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है।

इसके अलावा, अनुचित साधनों के निवारण के रूप में और सार्वजनिक परीक्षाओं में और अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम और नियमावली, 2024 अधिसूचित किया है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों/संगठित समूहों/अन्य संगठनों द्वारा उपयोग किए गए अनुचित साधनों या अपराधों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं।
